2025 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 4–ख का प्रतिस्थापन।
5. धारा 5–क का लोप।
6. धारा 6 का संशोधन।
7. धारा 6–क का संशोधन।
8. धारा 6–ख का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2025 है।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 में,

(क) उपधारा (1), में, "पचपन हजार" शब्दों के स्थान पर "सत्तर हजार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1–क) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) सदस्य का वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (v) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।"।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ii) में "एक हज़ार आठ सौ" शब्दों के स्थान पर "दो हज़ार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4–ख का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4–ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"4–ख. **निर्वाचन क्षेत्र और कार्यालय** भत्ता,–(1) प्रत्येक सदस्य को एक लाख बीस हजार रूपए की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी संदत्त किया जाएगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को नब्बे हजार रूपए प्रतिमास की दर से कार्यालय भत्ता संदत्त किया जाएगा।"।

धारा 5–क का लोप।

5. मूल अधिनियम की धारा 5–क का लोप किया जाएगा।

धारा 6 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(i) "चार लाख रूपये" शब्दों के स्थान पर "छह लाख रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) द्वितीय परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"परंतु टैक्सी द्वारा यात्रा का व्यय वास्तविक आधार पर होगा किन्तु प्रति किलोमीटर प्रभार पच्चीस रूपए से अनधिक तथा छह लाख रूपए की अधिकतम सीमा के भीतर होगा।"; और

(ख) उपधारा (2) में "प्रत्येक सदस्य" के पश्चात् "आधिकारिक दौरे के दौरान" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे और

"पच्चीस हजार" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल अधिनियम की धारा 6–क में,– धारा 6–क का संशोधन।

(क) "दो लाख रूपये" शब्दों के स्थान पर "तीन लाख रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु टैक्सी द्वारा यात्रा का व्यय वास्तिविक आधार पर होगा किन्तु प्रति किलोमीटर प्रभार पच्चीस रूपए से अनधिक तथा तीन लाख रूपए की अधिकतम सीमा के भीतर होगा।"; और

(ग) द्वितीय परंतुक में "दो लाख रूपये" शब्दों के स्थान पर "तीन लाख रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

8. मूल अधिनियम की धारा 6–ख में,– धारा 6–ख का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में "रू0 36,000" शब्दों और अंक के स्थान पर "पचास हजार रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(1–क) सदस्य का वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (v) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय में तीव्रता से वृद्धि के कारण हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ...., 2025

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों को अधिनियमित किए जाने से राज्य राजकोष पर अतिरिक्त आवर्ती व्यय लगभग बीस करोड़ से बाईस करोड़ अर्न्तवलित होगा तथापि ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(फाइल नं0 जी0ए0डी0.................पी0ए0—सी0—डी0 2025)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख :.............................., 2025

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) के उपबन्धों के उद्धरण:

धारा:

3. **वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता.**–(1) इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से या उसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से या यदि ऐसी घोषणा रिक्ति होने से पहले की गई हो, तो रिक्ति होने की तारीख से, इन दोनों में से जो भी बाद में हो, प्रति मास पचपन हजार रूपए की दर से वेतन और पांच हजार रूपए की दर से प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(1–क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को संदेय वेतन को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

(2) XXX XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX XXX

(4) इसमें इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को किसी ऐसी अवधि के बारे में, जिसके दौरान वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिक निरोध में था, कोई वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.–इस प्रयोजन के लिए विधिक निरोध के अन्तर्गत किसी निवारक निरोध से सम्बन्धित विधि के अधीन निरोध नहीं है।

4. **यात्रा भत्ता.**–(1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित की जाए, प्रत्येक सदस्य को संदत्त किया जाएगा:–

(i) ऐसा यात्रा भत्ता जो विहित किया जाए;

(ii) सभा या समिति के अधिवेशन में उपस्थित रहने में प्रत्येक दिन के लिए या अध्यक्ष के आदेशाधीन सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से सम्बन्धित किसी भी स्थान पर किसी अन्य काम–काज के लिए की गई यात्राओं के बारे में प्रतिदिन एक हजार आठ सौ रूपए की दर से विराम भत्ता:

परन्तु यदि किसी सदस्य को तत्समय प्रवृत्त हिमाचल प्रदेष विधान सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अधीन सभा के अधिवेशन या अधिवेशनों से अनुपस्थित रहने के लिए आदेश किया गया है तो यह अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए ऐसा भत्ता प्राप्त करने का हकदार नही होगा:

परन्तु यह और कि सदस्यः—

(क) जहां वह सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे अधिवेशन की तारीख से एक या दो दिन पूर्व पहुँचता है, या ऐसे अधिवेशन के स्थान से, उस तारीख से. जिसको समा अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी जाती है, ठीक एक या दो दिन पश्चात् प्रस्थान करता है वहां, यथास्थिति, पहुंचने और प्रस्थान करने के ऐसे एक या दो दिन के लिए; और

(ख) जहां यह किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे अधिवेशन की तारीख से एक दिन पूर्व पहुंचता है, या ऐसे अधिवेशन के स्थान से ऐसे अधिवेशन की समाप्ति से ठीक एक दिन पश्चात् प्रस्थान करता है, वहां पहुंचने और प्रस्थान करने के ऐसे एक दिन के लिए,

विराम भत्ते का हकदार भी होगा।

(iii) जब कोई सदस्य अपने निवास के प्रायिक स्थान से अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए प्रस्थान करता है और अधिवेशन के पश्चात् वहां वापस लौटता है, तब सदस्य के निवास के प्रायिक स्थान से प्रत्थान के दिन के लिए पांच रूपए की दर से आनुशंगिक भत्ता और प्रायिक स्थान पर पहुंचने के दिन के लिए पांच रूपए की दर से अनुशंगिक भत्ते का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण:—(1) सदस्य को ऐसे पहुंचने या ऐसे प्रस्थान के प्रत्येक दिन के लिए विराम—मत्ता अनुझेय होगा, चाहे पहुंचने और प्रस्थान का समय कुछ भी हो ।

स्पष्टीकरण:—(2) सभा या समिति के दो अनुक्रमिक अधिवेशनों के बीच चार दिन से कम का विराम ऐसे सदस्य के लिए जो ऐसे विराम के दौरान ऐसे अधिवेशन के स्थान से प्रस्थान नहीं करता है, उपस्थिति का दिन या के दिन समझे जाएंगे:

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सदस्य को यात्रा भत्ते या विराम भत्ते का हकदार नहीं बनाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति उस स्थान से, जिस पर उसकी उपस्थिति ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित है, आठ मील के भीतर किसी स्थान पर सामान्यतः निवास या कारबार करता है।

(2) जो सदस्य प्रतिदिन पच्चीस रूपए की दर से विराम–भत्ता जैसा कि उप धारा (1) में उपबन्धित है, नहीं लेना चाहता है, वह 25 जनवरी, 1971 से वर्तमान सभा के विघटन तक कर्तव्य पर निवास की किसी अवधि के लिए प्रतिदिन चार सौ की दर से भत्ते का हकदार होगा और ऐसी दषा में उप–धारा (1) के खण्ड (2) और (3) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरणः–(1) इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए कर्त्तव्य पर निवास की अवधि, से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई सदस्य ऐसे स्थान पर जहां सभा का अधिवेशन या समिति की बैठक होती है या जहां ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य से सम्बन्धित कोई अन्य काम–काज किया जाता है ऐसे अधिवेशन या बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या ऐसा अन्य काम–काज करने के प्रयोजन के लिए निवास करता है, और इसके अन्तर्गत उस सदस्य के मामले के सिवाय जो ऐसे स्थान पर निवास करता है जहां सभा का अधिवेशन या समिति की बैठक होती है या जहां उस रूप में उसके कर्तव्य से सम्बन्धि कोई अन्य काम–काज किया जाता है:–

(1) सभा के अधिवेशन की दशा में, अधिवेशन का प्रारम्भ से ठीक पूर्व तीन दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि और उस तारीख से, जिसको सभा के अनिश्चितकाल के लिए या सात दिन से अधिक की अवधि के लिए स्थगित किया जाता है, ठीक उत्तरवर्ती तीन दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि; और

(2) समिति की बैठक या किसी अन्य काम–काज की दशा में समिति के काम–काज या अन्य काम–काज के प्रारम्भ से ठीक पूर्व दो दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि और समिति के काम–काज या अन्य काम–काज के समाप्त होने से ठीक पश्चात् दो दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि ।

स्पष्टीकरणः–(2) सदस्य को कर्तव्य पर निवास के लिए प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा, चाहे पहुंचने और प्रस्थान का समय कुछ भी हो।

4–ख. निर्वाचन क्षेत्र, कार्यालय और कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भत्ताः–(1) प्रत्येक सदस्य को नब्बे हजार रूपए प्रतिमास की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी संदत्त किया जाएगा।

(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को संदेय वेतन को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को तीस हजार रूपए की दर से कार्यालय भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(3) प्रत्येक सदस्य को, को–टर्मिनस आधार पर कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने हेतु पन्द्रह हजार रूपए प्रतिमास की दर से भत्ता संदत्त किया जाएगा।

5–क. जल और विद्युत भत्ता.– प्रत्येक सदस्य, वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्रस्तुत करने पर, उस द्वारा संदत्त विद्युत और जल प्रभारों की प्रतिमास पांच हजार रुपये अधिकतम के अध्यधीन प्रतिपूर्ति का हकदार होगा:

परन्तु वह सदस्य, जो किराया मुक्त आवास का उपयोग कर रहा है जिसके सम्बन्ध में जल और विद्युत प्रभारों का वहन केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व या नियन्त्रणाधीन किसी नियम द्वारा किया जाता है, जल और विद्युत भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

6. रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा या टैक्सी द्वारा निःशुल्क यात्रा.–(1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्श में चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों को प्रस्तुत करने पर, होगा:

परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन या टैक्सी द्वारा यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों को प्रस्तुत करने पर होगा:

परन्तु यह और कि टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय चार लाख रुपए की अधिकतम राषि के दस प्रतिषत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायुमार्ग या लोक परिवहन या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम वित्तीय वर्श में चार लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद "कुटुम्ब" से पति या पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियाँ) अभिप्रेत होगा/होगी।

(2) प्रत्येक सदस्य उसके अपने अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा और ऐसा संदत्त अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के अधीन, कुल रकम का अवधारण कराने के लिए मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 7 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10–क के अधीन उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत रकम को हिसाब में लिया जाएगा।

(3) प्रत्येक सदस्य को दो निःशुल्क अनन्तरणीय पास प्रदान किए जाएंगे जो उसको और उसकी पत्नी या यात्रा के दौरान उसकी देख–भाल और सहायता के लिए उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के किसी लोक सेवा यान में किराया और उस पर यात्री कर का संदाय किए बिना यात्रा करने का हकदार बनाएगा।

(4) उप–धारा (1) के अधीन सदस्य को जारी किए गए निःशुल्क पास उसकी पदावधि के लिए विधिमान्य होंगे और ऐसी अवधि के अवसान पर वे उसके द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को अभ्यर्पित कर दिए जाएंगे।

(5) इस धारा की किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कोई सदस्य किसी ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार न रहे जिसका वह अन्यथा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन हकदार है।

6–क. भूतपूर्व सदस्यों को रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा या टैक्सी द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा.–किसी भूतपूर्व सदस्य को अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा भारत के भीतर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देष के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो लाख रुपए की अधिकतम राषि के अध्ययीन इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों को प्रस्तुत करने पर होगा:

परन्तु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय दो लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या लोक परिवहन उपक्रम द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

6–ख. पेन्शन.–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने पांच वर्ष तक की अवधि के लिए निम्नलिखित हैसियत से सेवा की है को 36,000 रुपये की पेन्शन प्रतिमास संदत्त की जाएगी:–

(क) विधान सभा के सदस्य, या

(ख) क्षेत्रीय परिषद् सदस्य, या

(ग) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य, या

(घ) (1) पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के तत्कालीन राज्य की विधान सभा; या

(2) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा, या

(3) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान परिषद, या

(4) भागतः एक और भागतः दूसरी के सदस्य जिन्हें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए पूर्ण क्षेत्र या उसके भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है,

(ङ) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः, यथास्थिति, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य क्षेत्र के तत्कालीन राज्य या तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में पांच वर्ष तक किसी अवधि के लिए सेवा की है, प्रतिमास छतीस हजार रूपये पेन्शन संदत्त की जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने प्रथम अवधि से अधिक अवधि के लिए उपयुक्त रूप से सेवा की है, वहां उसे प्रथम अवधि से अधिक अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एक हजार रूपए प्रतिमास की अतिरिक्त पेन्शन संदत्त की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए वर्ष के किसी भाग को एक वर्ष के रूप में संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन संदेय अतिरिक्त पेन्शन के अवधारण करने के लिए अवधि की संगणना करते समय, हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र) में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की दशा में, जहां निर्वाचन आम चुनाव के लिए नियत दिन के पश्चात्वर्ती किसी भी दिन करवाए जाते हैं या करवाए जा सकेंगे, उस तारीख, जिसको आम चुनाव में विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों

को शपथ दिलाई जाती है और वह तारीख जिसको, हिमवाधित (असमरूप क्षेत्र) से निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, की मध्यवर्ती अवधि की भी गणना की जाएगी।

स्पष्टीकरण.–पद "हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र)" से किन्नौर और लाहौल एवं स्पिती जिले तथा चम्बा जिला में तहसील पांगी और भरमौर अभिप्रेत है ।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन का हकदार कोई व्यक्ति–

(i) राष्ट्रपति या उप–राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाता है; या

(ii) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) की धारा (3) के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य बन जाता है; या

(iii) वेतन पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम में या स्थानीय प्राधिकरण में नियोजित या राज्य सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकरण से अन्यथा कोई पारिश्रमिक पाने का हकदार हो जाता है; तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए जिसके वह ऐसा पद धारण किए रहता है या ऐसा सदस्य बना रहता है, या ऐसे नियोजित है या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहता है, उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति ऐसे पद धारण करने या ऐसा सदस्य रहने या ऐसे नियोजित रहने के लिए संदेय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को संदेय खण्ड (iii) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक किसी भी दशा में उप–धारा (1) के अधीन उस संदेय पेन्शन से कम है, वह ऐसा व्यक्ति उस उप–धारा के अधीन पेन्शन के रूप में केवल अतिशेष को प्राप्त करने का हकदार होगा:

(2अ) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन पेंशन का हकदार नहीं होगा, यदि उसे संविधान के दसवीं अनुसूची के अधीन किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया है:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है, तो उसके द्वारा पहले से ली गई पेंशन की रकम ऐसी रीति में वसूल की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

(3) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्षन पाने का हकदार कोई व्यक्ति अन्य पेन्शन पाने का भी हकदार है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अन्य पेन्शन के साथ–साथ उप–धारा (1) के अधीन, पेन्शन प्राप्त करने के हकदार होगा ।

(4) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणना करने में उस अवधि की भी गणना की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने मन्त्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 3) में यथा परिभाषित मंत्री के रूप में या विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा की है।

(5) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्षन या पेन्षन लेने के हकदार व्यक्ति की मष्त्यु हो जाती है तो :–

(i) उसकी पत्नीध्पति अपने जीवन काल में या पुनर्विवाह पर्यन्त; या
(ii) यदि ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति नहीं है तो व्यस्कता की आयु अभिप्राप्त करने पर्यन्त उसकी सन्तान और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह पर्यन्त, ऐसे व्यक्ति को यथा अनुज्ञेय पेन्शन के 50 प्रतिशत की दर पर पेन्शन लेने के हकदार होंगे।

परन्तु जहां इस उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन लेने के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पेन्शन को समान अंश में लेने के हकदार होंगे ।

(5–अ) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (1–अ) के अधीन पेन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु फरवरी, 1989 के सातवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका वहां उसकी पत्नी, पति, अवयस्क संतान या अविवाहित पुत्रियों उप–धारा (5) के अधीन पेंशन लेने का हकदार होगें, मानों कि ऐसा व्यक्ति फरवरी 1989 के सातवें दिन को जीवित था ।

(6) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका, तो–

(i) उसके जीवन काल में या उसके पुनः विवाह करने पर्यन्त उसका पति/पत्नी, या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति का पति/पत्नी नहीं है तो उसकी अवयस्क सन्तान व्यस्कता की आयु प्राप्त करने पर्यन्त और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह करने पर्यन्त,

उस राशि के बराबर पेन्शन जो ऐसे व्यक्ति ने पेन्शन के रूप में प्राप्त की होती, यदि वह दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन को जीवित होता या तीन सौ पचहत्तर रूपए की राशि प्रति मास, इन दोनों में से जो अधिक हो, लेने का हकदार होगा/होगी:

परन्तु इस उप–धारा के अधीन तीन सौ पचहत्तर रूपए की उच्चतर सीमा जनवरी, 1986 के चौबीसवें दिन से मार्च, 1988 के इक्तीसवें दिन तक की कालावधि की पेन्शन के लिए लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां इस उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उस पेन्शन को बराबर हिस्सों में लेंगे ।

(7) प्रत्येक व्यक्ति को जो इस धारा के अधीन पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन लेता है या पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन लेने का हकदार है, अनुज्ञेय पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन के अतिरिक्त, उसी दर से पेन्शन पर मंहगाई राहत संदत्त की जाएगी जो राज्य सरकार के अन्य पेन्शन भोगियों को अनुज्ञेय है ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2025

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.
4. Substitution of section 4-B
5. Omission of section 5-A.
6. Amendment of section 6.
7. Amendment of section 6-A.
8. Amendment of section 6-B.

Bill No. 9 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2025

(As Introduced In The Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2025.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"),-

(a) in sub-section (1), for the words "fifty five thousand", the words "seventy thousand" shall be substituted; and

(b) after sub-section (1-A), the following shall be inserted, namely:-

"(2) The salary of a member shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.".

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (ii), for the words "one thousand eight hundred", the words "two thousand five hundred" shall be substituted.

Substitution of section 4-B.

4. For section 4-B of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**4-B. Constituency and Office Allowance.**-(1) There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of one lakh twenty thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to each member an office allowance at the rate of ninety thousand rupees per mensem.".

Omission of section 5-A.

5. Section 5-A of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 6.

6. In section 6 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) for the words "four lac rupees", the words "six lakh rupees" shall be substituted;

(ii) for the second proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometer charges shall not exceed more than twenty five rupees and within the maximum limit of six lakh rupees:"; and

(b) in sub-section (2), after the words "Each member", the words "during official tour" shall be inserted and for the words "twenty five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

7. In section 6-A of the principal Act,- Amendment of section 6-A.

(a) for the words "two lac rupees", the words "three lakh rupees" shall be substituted;

(b) for the first proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometer charges shall not exceed more than twenty five rupees and within the maximum limit of three lakh rupees:"; and

(c) in the second proviso, for the words "two lac rupees" the words "three lakh rupees" shall be substituted.

8. In section 6-B of the principal Act,- Amendment of section 6-B.

(a) in sub-section (1), for the words and figures "Rs. 36,000", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted; and

(b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:-

"(1-A) The pension of a member for the first term shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living, it has been considered necessary to amend the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:

The...................... March, 2025.

FINANCIAL MEMORANDUM

Provisions of the Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of approximately 20 crores to 22 crores on the State Exchequer, however, the same cannot be exactly quantified.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. GAD-C-D(——2025]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2025, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:

The......................., 2025

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971 (ACT NO. 8 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections:

3. Salary and compensatory allowance.—(1) Subject to the conditions herein contained, there shall be paid to each member a salary at the rate of fifty five thousand rupees and compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem with effect from the commencement of this Act or from the date on which he is declared duly elected under the Representation of the People Act, 1951 (Act No. 43 of 1951), or if such declaration is made before the vacancy occurs, from the date of occurrence of vacancy, whichever is later.

(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the salary payable to a member under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent, for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.

(2) xxxxxxx

(3) xxxxxxx

(4) Notwithstanding anything hereinbefore contained no salary and compensatory allowance shall be paid to any member in respect of any period during which he was under legal detention under any law for the time being in force.

Explanation.—The legal detention for this purpose does not include detention under any law relating to preventive detention.

4. Travelling allowance.—(1) Subject to such conditions and limitations as may be imposed by rules made under this Act, there shall be paid to each member:-

(i) such travelling allowance as may be prescribed;

(ii) a halting allowance at the rate of one thousand eight hundred rupees per day for each day of attendance at a meeting of the Assembly or Committee or in

respect of journeys undertaken under the orders of the Speaker for any other business anywhere connected with his duties as a member:

Provided that if a member has been ordered to absent himself from a meeting or meetings of the Assembly under the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Himachal Pradesh Legislative Assembly for the time being in force, he shall not be entitled to get allowance for such period of absence:

Provided further that a member shall also be entitled to halting allowance,-

(a) where he arrives for attending a meeting of the Assembly one or two days earlier to the date of such meeting, or departs from the place of such meeting one or two days immediately after the date on which the Assembly is adjourning sine die, for such one or two days, as the case may be, of arrival and departure; and

(b) where he arrives for attending a meeting of a Committee one day earlier to the date of such meeting, or departs from the place of such meeting one day immediately after the conclusion of the business of the Committee, for such one day of arrival and departure;

(iii) an incidental allowance at the rate of five rupees for the day of departure from and an incidental allowance at the rate of five rupees for the day of arrival at the usual place of residence of the member when he leaves his usual place of residence to attend a meeting and returns thereto after the meeting.

Explanation-I.- Halting allowance shall be admissible to a member for each day of such arrival and such departure irrespective of the time of arrival and departure.

Explanation-II.- A break of less than four days between two successive meetings of the Assembly or Committee shall be deemed to be a day or days of attendance for a member, who does not leave the place of the meeting during such break:

Provided that nothing in this section shall entitle any member to travelling allowance if such person ordinarily resides or carries on business at any place within eight kilometres of the place at which his attendance is required in connection with his duties as member.

(2) A member who does not wish to draw the halting allowance at the rate of four hundred rupees per day as provided in sub-section (1), shall be entitled to an allowance at the rate of

twenty-five rupees for each day during any period of residence on duty from the 25th day of January, 1971, till the dissolution of the existing Assembly and in such a case the provisions of clauses (ii) and (iii) of sub-section (1) shall not apply.

Explanation-I.-For the purpose of this sub-section "period of residence on duty" means the period during which a member resides at a place where a session of the Assembly or a sitting of a Committee is held or where any other business connected with his duties as such member is transacted, for the purpose of attending such session or sitting or for the purpose of attending to such other business, and includes, except in the case of a member who ordinarily resides at a place where a session of the Assembly or a sitting of the Committee is held or where any other business connected with his duties as such is transacted,

(i) in the case of a session of the Assembly, a period of such residence, not exceeding three days, immediately preceding the commencement of the session and a period of such residence, not exceeding three days, immediately succeeding the date on which the Assembly is adjourned sine die or for a period exceeding seven days; and

(ii) in the case of a sitting of a Committee or any other business, a period of such residence, not exceeding two days immediately preceding the commencement of the business of the Committee or other business and a period of such residence, not exceeding two days, immediately succeeding the conclusion of the business of the Committee or other business.

Explanation-II.- Daily allowance shall be admissible to a member for each day of residence on duty irrespective of the time of arrived or departure.

4-B. Constituency, Office and Computer/Data Entry Operator allowance.—(1) There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of ninety thousand rupees per mensem.

(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the salary payable to a member under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.

(2) There shall be paid to each member an Office allowance at the rate of "thirty thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to each member an allowance at the rate of fifteen thousand] rupees per mensem to engage Computer/Data Entry Operator on co-terminus basis.

5-A. Water and Electricity Allowance.—Every member shall, on the production of actual payee's receipt, be entitled to the reimbursement of the amount of electricity and water charges bill paid by him subject to a maximum of five thousand rupees per mensem.

6. Free transit by railway or by air or by State Transport Undertaking or by taxi.—(1) Each member during the term of his office shall be entitled to travel at any time, by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within or outside the Country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to maximum amount of four lac rupees in each financial year:

Provided that the member while on official tour shall also be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred by his family or any other person accompanying him to look after and assist him during travel by air or by rail or by public transport or by taxi on production of tickets or bills for such journey performed:

Provided further that the expenses on journey by taxi shall not be more than ten percent of the maximum amount of four lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by public transport or by taxi in a financial year shall not exceed four lac rupees.

Explanation.-For the purpose of this sub-section, expression "family" shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) Each member shall be entitled for an advance not exceeding rupees twenty five thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.- For determining the aggregate amount so incurred on such journey under this section, the amount so incurred in the same financial year by journey performed by railway or by air or by taxi under section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000), or under section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) shall be taken into account.

(3) Each member shall be provided with two free non-transferable passes which shall entitle him and his wife or any other person accompanying him to look after and assist him during travel at any time without payment or fare and passenger tax thereon by any public service vehicle of the Himachal Road Transport Corporation.

(4) The free passes issued to a member under sub-section (1) shall be valid for the terms of his office and on the expiration of such term these shall be surrendered by him to the Secretary of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

(5) Nothing in this section shall be construed as disentitling a member to any travelling allowances to which he is otherwise entitled under the provisions of this Act or rules made thereunder.

6-A. Free transit facility by railway or by air or by State Transport Undertaking or by taxi to ex-members.- An ex-member shall be entitled to travel at any time by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within or outside the country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his Family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to maximum amount of two lac rupees in each financial year:

Provided that the expenses on journey by taxi shall not be more than ten percent of maximum amount of two lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by State Transport Undertaking or by taxi in a financial year shall not exceed two lac rupees.

Explanation.- For the purpose of this section, expression "Family" shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

6-B Pension.—(1) There shall be paid a pension of Rs. 36,000 per mensem to every person who has served for any period up to five years as,—

(a) a member of Assembly; or

(b) a member of the Territorial Council; or

(c) partly as a member of the Assembly and partly as member of the Territorial Council; or

(d) a member of-

(i) the Legislative Assembly of the erstwhile State of Patiala and east Punjab States Union; or
(ii) the Legislative Assembly of the erstwhile Punjab State; or
(iii) the Legislative Council of the erstwhile Punjab State; or
(iv) partly as a member of the one and partly as a member of the other;

who has been elected or nominated to represent the whole or the part of the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab re-organization Act, 1966.

(e) partly as a member of the Assembly and partly as a member of the Legislative Assembly of erstwhile State of Patiala and East Punjab State Union or the Legislative Assembly/Council of the erstwhile State of Punjab, as the case may be:

Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding first term, there shall be paid to him an additional pension of Rs. 1000/- per mensem for every year in excess of period of the first term, provided that for this purpose, the fraction of a year shall be counted as one year:

Provided further that while reckoning the period for the determination of the additional pension payable under the preceding proviso in the case of members elected from the constituencies comprised of snow-bound area (non-synchronous area) where the elections are or maybe conducted on any day subsequent to the day fixed for the general elections, the period intervening the date on which the oath is administered to the members elected to the Assembly in the general elections and the date on which the oath is administered to the members elected from the Snow-bound area (non-synchronous area) shall also be counted.

Explanation.-The expression "snow bound area (non-synchronous area)" means the area comprising Kinnaur, Lahaul and Spiti district and Pangi and Bharmaur tehsils in Chamba district.

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1),-

(i) is elected to the office of the President or Vice-President or is appointed to the Office of the Governor of any State or Administrator of any Union Territory; or

(ii) becomes a Member of any Legislative Assembly of a State or a Union Territory or Legislative Council of State or the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966; or

(iii) is employed on a salary under the Central Government or any State Government or in a Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or local authority or becomes otherwise entitled to any remuneration from State Government, Corporations or local authority;

such person shall not be entitled to any pension under sub-section (1) for the period during which he continues to hold such office or as such member or is so employed or continues to be entitled to such remuneration:

Provided that where the salary payable to such person for holding such office or being such member or so employed or where the remuneration referred to in clause (iii) payable to such person is in either case less than the pension payable to him under sub-section (1) such person shall be entitled only to receive the balance as pension under that sub-section.

(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such other pension.

(4) In computing the number of years for the purposes of sub-section (1), the period during which a person has served as a minister, as defined in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 or the Speaker or the Deputy Speaker of the Assembly or the Chairman of the Territorial Council shall also be taken into account.

(5) Where any person who draws pension or is entitled to draw pension, under sub-section (1), dies,-

(i) his/her spouse during his/ her life time or till he/she remarries; or

(ii) if such person leaves no spouse his minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension at the rate of 50% of pension as admissible to such person:

Provided that where more than one person becomes entitled for pension under this sub-section all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(5-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section where a person would have been entitled to draw pension under sub-section (1) or sub-section (1-A) of this section but for his death before the 7th day of February, 1989 he could not draw such pension, his spouse, minor children or un-married daughters shall be entitled to draw pension under sub-section (5), as if such person was alive on the 7th day of February, 1989.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where a person would have been entitled to draw pension, under sub-section (1) but for his death before the 31" day of December, 1976 he could not draw such pension-

(i) his/her spouse during his/her life time or till he/she remarries; or

(ii) if such a person leaves no spouse, his/her minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension equal to a sum which would have been drawn by such a person as pension under this section as if such person was alive on the 31st day of December, 1976 or the sum of rupees three hundred and seventy five per mensem, whichever is higher:

Provided that the upper limit of rupees three hundred and seventy five shall not apply for the pension under this sub-section for the period from the 24th day of January, 1986 to the 31st day of March, 1988:

Provided further that where more than one person becomes entitled to pension under this sub-section, all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(7) Every person who draws pension/family pension or is entitled to draw pension/ family pension, shall, in addition to the pension/family pension admissible under this section, be paid dearness relief in pension at the same rates as is admissible to other pensioners of the State Government.

राजकीय मुदणालय, हि०प्र०, शिमला—2515—जुड / 2025—28—3—2025—175 प्रतियां।